

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

सोहन जाट

बनाम

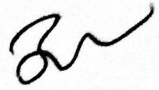
शंकर जाट वगै0

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 10/2022

Online No. 2022/38

10.01.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-10/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री सोहन पिता उदा जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री रामेश्वर लाल पिता सोहन जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।

बनाम

-प्रार्थीगण

1. श्री शंकर पिता देवा जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री लक्ष्मण पिता एकलिंग जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्री भैरु पिता हीरा जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. श्री उदा पिता कैला जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. श्री कैलाश पिता भैरा जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. श्री लक्ष्मण पिता मूला जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. श्री सोहन पिता देवा ब्राह्मण निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. श्री चान्दू पिता माधु जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. श्रीमती गीता पत्नी माधु जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. श्री मदन पिता मूला जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. श्री कैलाश पिता भैरु जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. श्री तेजु पिता डालु दरोगा निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. श्री देबीलाल पिता डालु दरोगा निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
14. श्रीमती जस्सु पत्नी बंशीलाल दरोगा निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
15. श्री रतन लाल पिता सोहन जाट निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
16. श्री नारायण पिता मोहन जांगिड़ (सुथार) निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम-1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दादीया प0ह0 गुंदली भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 573 रकबा 0.4805 हैक्टयर आराजी नम्बर 574 रकबा 0.3035 हैक्टयर आराजी नम्बर 890 रकबा 0.3414 हैक्टयर आराजी नम्बर 898 रकबा 0.1517 हैक्टयर आराजी नम्बर 900 रकबा 0.3920 हैक्टयर आराजी 597 रकबा 0.2403 हैक्टयर आराजी नम्बर 598 रकबा 0.4932 हैक्टयर आराजी नम्बर 889 रकबा 0.3541 हैक्टयर आराजी नम्बर 899 रकबा 0.1361 हैक्टयर कुल 2.8958 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम दादीया प0ह0 गुंदली भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 573 रकबा 0.4805 हैक्टयर आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 574 रकबा 0.3035 हैक्टर आराजी नम्बर 890 रकबा 0.3414 हैक्टर आराजी नम्बर 898 रकबा 0.1517 हैक्टर आराजी नम्बर 900 रकबा 0.3920 हैक्टर आराजी 597 रकबा 0.2403 हैक्टर आराजी नम्बर 598 रकबा 0.4932 हैक्टर आराजी नम्बर 889 रकबा 0.3541 हैक्टर आराजी नम्बर 899 रकबा 0.1361 हैक्टर कुल किता 09 रकबा 2.8958 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः एवं

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम दादीया प0ह0 गुंदली भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 573 रकबा 0.4805 हैक्टर आराजी नम्बर 574 रकबा 0.3035 हैक्टर आराजी नम्बर 890 रकबा 0.3414 हैक्टर आराजी नम्बर 898 रकबा 0.1517 हैक्टर आराजी नम्बर 900 रकबा 0.3920 हैक्टर आराजी 597 रकबा 0.2403 हैक्टर आराजी नम्बर 598 रकबा 0.4932 हैक्टर आराजी नम्बर 889 रकबा 0.3541 हैक्टर आराजी नम्बर 899 रकबा 0.1361 हैक्टर कुल किता 09 रकबा 2.8958 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 600/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पांसल 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पांसल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।



प्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।
सुनाया गया।

(ओम प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा